

पुलिस अड्डा

संख्या-5147/6-पु0-7-2008-185/2008

प्रेषक,

रेणुका कुमार,

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,

इलाहाबाद।

गृह(पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 08 दिसम्बर, 2008

**विषय:- उ0प्र0 पुलिस विभाग के लिए स्वीकृत उपकरणों/संसाधनों के क्रय में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण एवं क्रय प्रक्रिया में सरलीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (पुलिस) विभाग के उपकरणों/संसाधनों का क्रय वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्रावधान एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। निविदा के विज्ञापन, प्राप्त निविदाओं के खोलने, उनके परीक्षण तथा तकनीकी भावपत्र एवं यथास्थिति वित्तीय भावपत्र खोलने और कभी-कभी पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने की स्थितियों में निविदा के माध्यम से उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया काफी समयसाध्य हो जाती है। फलस्वरूप उपकरणों के क्रय में समय लगने एवं मूल्यों में वृद्धि (टाइम एण्ड कास्ट ओवर रन) की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस विलम्ब को समाप्त करने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था एवं आतंकवाद पर नियंत्रण पाने आदि महत्वपूर्ण कार्यों के निमित्त तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत उपकरणों/संसाधनों का क्रय शीघ्र पूर्ण करने एवं उपकरणों के तकनीक में निरन्तर हो रहे नये-नये परिवर्तन/परिवर्द्धन के प्रकाश में आधुनिकतम तकनीक का लाभ उठाने के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी है। अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान वित्तीय प्रावधानों एवं निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1)- शासन द्वारा पुलिस विभाग के लिए स्वीकृत उपकरणों में जो उपकरण प्रोप्राइटरी आइटम हैं, उनके क्रय की तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए, भंडार क्रय नियम-10 में विचलन करते हुए प्रोप्राइटरी आइटम को क्रय करने का अधिकार गृह विभाग को प्रतिनिधानित किया जाता है।

(2)- आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत अनुमोदित उपकरणों/वाहनों की स्वीकृति के उपरान्त क्रय प्रक्रिया में समय लगता है और इस बीच उनकी स्वीकृत लागत में वृद्धि हो जाती है जिससे उपकरणों/वाहनों के क्रय मूल्य परिवर्तन पर शासकीय अनुमति पुनः आवश्यक होने की स्थितियों में विलम्बित होता है। वित्तीय स्वीकृति एवं क्रय प्रक्रिया पूर्ण होने की अवधि में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सी0एस0टी0 आदि की दरों में भी परिवर्तन की सम्भावना रहती है। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा विनिमय में अस्थिरता (कमी/वृद्धि) से भी उपकरणों की दरें बढ़ जाती हैं। बढ़ी दरों के फलस्वरूप अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति निर्गत करनी पड़ती है जिसमें समय लगता है। अतएव समय की बचत हेतु आधुनिकीकरण योजना तथा राज्य के सामान्य बजट से स्वीकृत उपकरणों/वाहनों की स्वीकृत सीमा के अंतर्गत मूल्य में कमी/वृद्धि की स्थिति में

अपर पुलिस महानिदेशक

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय

2225  
Biswas

XIX

अपर पुलिस



-2-

स्वीकृति/परिवर्तन का अधिकार सम्यक विचारोपरान्त पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० को प्रतिनिधित्व किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3)- वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये प्रावधान के अनुसार प्रथम निविदा में फर्मों को बिड दिये जाने का न्यूनतम अवधि 30 दिन निर्धारित है। सुरक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण उपकरणों, बुलेट प्रूफ वाहनों आदि का क्रय संवेदनशीलता एवं तात्कालिकता के दृष्टिगत यथाशीघ्र किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय होता है। वर्तमान समय सीमा के कारण इस कार्यवाही में विलम्ब होता है। अतएव सम्यक विचारोपरान्त समय की बचत हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में संशोधन करके सुरक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण उपकरणों, बुलेट प्रूफ वाहनों आदि के क्रय संबंधी निविदा की न्यूनतम अवधि 15 दिन निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4)- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08- 15(1)/86, दिनांक 23.09.2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए ₹0 20,000/- (₹0 बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किये क्रय की जा सकती है और निर्माण कार्य एवं मरम्मत से सम्बन्धित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु ₹0 1,00,000/- (₹0 एक लाख मात्र) से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए टेण्डर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। पुलिस विभाग की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुये सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त निर्धारित वित्तीय सीमा में निम्नवत् वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (1) ₹0 20,001/- से ₹0 1,00,000/- तक कोटेशन मंगाकर (बिना वित्तीय सलाहकार की अनुमति के)
- (2) ₹0 1,00,001/- से ₹0 2,00,000/- तक कोटेशन मंगाकर (वित्तीय सलाहकार की अनुमति लेकर)
- (3) ₹0 2,00,000/- से अधिक निविदा आमंत्रित करके।

क्रय संबंधी समस्त प्रस्ताव वित्तीय सलाहकार की सहमति से सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किए जायेंगे।

(5)- पुलिस विभाग में अधिक संख्या में वाहन एक साथ निष्प्रयोज्य घोषित होते हैं। वर्तमान नीति के अनुसार उनकी नीलामी कराकर नीलामी की धनराशि राजकोष में जमा कराने की प्रक्रिया पूरी कर प्रतिस्थापन में नये वाहनों के क्रय की स्वीकृति जारी की जाती है। वाहनों के निष्प्रयोज्य घोषित होने के उपरान्त उनकी नीलामी तक लगने वाले समय के कारण जनपदों में वाहनों की कमी बनी रहती है इससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था/महत्वपूर्ण इयूटियां प्रभावित होती हैं।

इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि पुलिस विभाग की विशिष्ट कार्यप्रणाली एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत पुलिस विभाग के निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के प्रतिस्थापन में नये वाहन क्रय करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी जाय कि निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों की नीलामी 45 दिन के अन्दर कराकर प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

(6)- केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा अधिक संख्या में सुरक्षा उपकरण/संसाधनों का क्रय निविदा के माध्यम से किया जाता है। केन्द्रीय रूप से क्रय प्रक्रिया सम्पादित करने से जहां प्रतिस्पर्धात्मक दरों के कारण अच्छे उपकरण सस्ते दरों पर उपलब्ध होने की सम्भावना बनती है

-3-

वहीं इससे समय की बचत भी होती है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त पुलिस विभाग की विशिष्ट कार्यप्रणाली एवं अपरिहार्यता के दृष्टिगत केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा निर्धारित दरों पर खय किये जा रहे उपकरणों के साथ उ०प्र० पुलिस की आवश्यकता का मांग पत्र उनके साथ सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन में अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त (लेखा)अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या- एफ.ए-1-725 /दस-2008, दिनांक 08,दिसम्बर, 2008 द्वारा एवं लघु उद्योग विभाग के अशासकीय संख्या- / -2008, दिनांक 02दिसम्बर, 2008 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

*Me 12/12/08*  
(रिणुका कुमार)  
सचिव।

संख्या-5147(1)/6-पु-7-08 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा/आडिट) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन्स, इन्दिरा भवन, इलाहाबाद।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
9. लघु उद्योग अनुभाग-5
10. गार्ड फाइल/समायोजन समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

*Me 12/12/08*  
(रिणुका कुमार)  
सचिव।